श्रीमती शशी जैन बनाम् श्री परमेश चन्द वगैरा।
(एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या-93 /2005)
अन्तर्गत
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 1940/2000)

28.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री एस.आर. जोशी, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री आर.एस.राठौड़, अति. महाधिवक्ता वास्ते कन्टेमनरस्।

सुना गया। प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस् की ओर से श्री आर.एस. राठौड़, अति. महाधिवक्ता ने मेरे समक्ष प्रार्थिनी श्रीमती शशी जैन, अधिवक्ता को जारी किए गये बैंकर चैकों की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की और कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण पालना कर दी गई है। यद्यपि विद्वान अधिवक्ता श्री जोशी ने आज प्रकरण में स्थगन चाहा, किन्तु इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस न्यायालय के आदेश की पालना हो चुकी है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस प्रकरण को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अत: यह अवमानना याचिका निरस्त की जाती है तथा प्रतिपक्षी/कन्टेमनरस को जारी अवमानना के नोटिस उन्मोचित किए जाते हैं।

(न्या0 शिव कुमार शर्मा)